

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2023

जयपुर, दिनांक : 08.03.2023

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.10.2022 के क्रम संख्या 2 के द्वारा डा. अंकित कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी का सीएचसी किशनगढबास, अलवर से राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, खैरथल, अलवर में किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(नरेन्द्र कुमार बंसल)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय को अशा टीप क्रमांक 436 दिनांक 01.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल, राज.
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल


(हनुमान सहाय मीणा)
शासन सहायक सचिव